Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

रजिस्टर्ड/ई0मेल

सेवा में,

चेयरमैन–कम–आयुक्त,
फीस एण्ड फण्ड रेगुलेटरी कमेटी,
अम्बाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम, करनाल, रोहतक तथा हिसार।

यादी कमांक :–7/24 –2020 पी0एस0 (4)
दिनांक, पंचकूला :–05-03-2022

विषय :– **जिला शिक्षा अधिकारी–कम–सदस्य, फीस एण्ड फण्ड रेगुलेटरी कमेटी (एफ0एफ0आर0सी0) को नियम 158 के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्राप्त होने वाली फीस से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान करवाने तथा ब्यौरा देने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले मे आपको महाधिवक्ता हरियाणा, चण्डीगढ के कार्यालय से प्राप्त डी0ओ0 पत्र कमांक SPL-AG/7 दिनांक 18.02.2022 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा फीस वृद्धि से सम्बन्धित शिकायतों का ब्यौरा मांगा जाता है कि विभाग मे कितनी शिकायतें चल रहीं है और कितनी शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। परन्तु निदेशालय स्तर पर इस प्रकार का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण माननीय कोर्ट मे समय पर कोई भी संतोषजनक जवाब देने मे असमर्थता उत्पन्न होती है। जिस कारण लिटीगेशन उत्पन्न होती है। अतः इस सम्बन्ध मे जिले से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–कम–सदस्य, फीस एण्ड फण्ड रेगुलेटरी कमेटी (एफ0एफ0आर0सी0) को नोडल अधिकारी नियुक्त करने बारे आदेश किए गए है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जिले से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–कम–सदस्य, फीस एण्ड फण्ड रेगुलेटरी कमेटी को नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो आपके कार्यालय मे फीस से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतों का नियन 158 के तहत निपटान करवाना सुनिश्चित करेंगें तथा शिकायतों का ब्यौरा रखने हेतु नियमित रूप से एक अतिरिक्त रजिस्ट्रर Maintain करेंगे। इसके अलावा इन शिकायतों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न प्रोफार्मा) में भरकर प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को रिपोर्ट निदेशालय की ई0मेल (dseps21@gmail.com) व रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवाएंगे, ताकि भविष्य मे होने वाली Litigation से बचा जा सके।

Sd/-
अधीक्षक पी0एस0
कृतेः महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

z:\asst. anil saini 2020\letter ffrc 05.03.2022.docx

पृष्ठांकन–क्रमांक–सम दिनांक, पंचकूला:–05-03-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ।
2. निजी सचिव/महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. पी0ए0/निदेशक, मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, गुरूग्राम, हरियाणा।
5. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
6. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
7. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I/ II
8. अधीक्षक, प्राईवेट स्कूल शाखा (मौलिक) ।
9. उपनिदेशक आई0टी0 सैल को प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

05/03/2022

अधीक्षक पी0एस0
कृतेः महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

8/3/22

z:\asst. anil saini 2020\letter ffrc 05.03.2022.docx

Month wise Status Report of Complaints received under Rule 158 of Haryana School Education Rules, 2003(amendment on 08.12.2021)

District____________________

Sr. No.	Name of Complainant with Full Address/Office	Complaint Detail	Received on Date	Case Status Report	Remarks (if pending give reason)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(Nodal Officer)
District Education Officer-cum-FFRC,
Member Name